



दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे

		<p>Office of the Chief Commercial Manager, Bilaspur- 495004 (C.G)</p>
<p>दर परिपत्र स. 93(मालभाड़ा)/2017</p>		<p>Rates Circular No.93(G)/2017</p>

सं No.C/SECR/BSP/Container/Policy /Pt.I/2501

दिनांक / Date: 12/05/2017

सभी मुख्य स्टेशन प्रबंधक, स्टेशन अधीक्षक, मुख्य माल पर्यवेक्षक, माल पर्यवेक्षक, माल लिपिक एवं साईडिंग लिपिक, वे-ब्रिज लिपिक, मुख्य वाणिज्य निरीक्षक, वाणिज्य निरीक्षक, वरिष्ठ ट्राफिक निरीक्षक एकाउंट, ट्राफिक निरीक्षक एकाउंट / दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

मंडल रेल प्रबंधक/DRMs/द.पू.म.रे. बिलासपुर, रायपुर एवं नागपुर। वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबंधक, /Sr.DCMs बिलासपुर, रायपुर एवं नागपुर। वरिष्ठ मण्डल परिचालन प्रबंधक, /Sr.DOMs बिलासपुर, रायपुर एवं नागपुर। मुख्य वाणिज्य नियंत्रक, /Chief Commercial Control बिलासपुर। एरिया रेलवे मैनेजर/ARMs भिलाई, कोरबा, शहडोल एवं ब्रजराजनगर। मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी/CPRO बिलासपुर, वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी/FA&CAO, उप मुख्याधिकारी (टी)/Dy.FA&CAO(T) एवं वरिष्ठ एकाउंट अधिकारी(टी.ए) द.पू.म.रे. बिलासपुर/Sr.AFA(TA) वरिष्ठ उप मुख्य महाप्रबंधक/SDGM, मुख्य मालभाड़ा यातायात प्रबंधक,/CFTM मुख्य यांत्रिक अभियंता/CME, मुख्य अभियंता/CE, मुख्य विद्युत अभियंता/CEE, द.पू.म.रे बिलासपुर।

प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा अधिकारी, /Principal Director of Audit दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर।

मुख्य वाणिज्य प्रबंधक/CCMs:- पूर्व रेलवे, कोलकाता, उत्तर रेलवे, नई दिल्ली, दक्षिण रेलवे, चेन्नई, पश्चिम रेलवे, चर्चगोट, मुंबई, मध्य रेलवे, मुंबई सीएसटी, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, मालीगांव गुवाहाटी, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद, पूर्व तटीय रेलवे, भुवनेश्वर, पश्चिम मध्य रेलवे, जयलपुर, उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर, दक्षिण पश्चिम रेलवे, हुबली, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर, दक्षिण पूर्व रेलवे, कोलकाता, दक्षिण मध्य रेलवे, सिकंदराबाद कार्यकारी निर्देशक, रेल मूवमेन्ट/EDRM, रेलवे बोर्ड, पूर्व रेलवे हाउस, कोलकाता।

कॉन्कोर, इरको हाउस, 50, जवाहरलाल नेहरू रोड, कोलकाता

सीएओ(एफओआईएस), क्रीस चाणक्यपुरी नई दिल्ली.

महाप्रबंधक, क्रीस चाणक्यपुरी नई दिल्ली., ओसीसी, क्रीस चाणक्यपुरी नई दिल्ली.,

कार्यपालन निर्देशक (यात्री विपणन), रेलवे बोर्ड, रेल भवन, नई दिल्ली।

विषय / Sub:- Movement of Restricted Commodities in Import Containers in seal cut containers.

संदर्भ / Ref:- (i) Railway Board's letter No. 2008/TT-III/73/8 dated 01.07.2008.

(ii) This office Rates Circular No.105(G)/08.

उपर्युक्त विषयक रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या 2011/TT-III/73/9 दिनांक 26/27.04.2017 (Container Train Circular : 05/2017) आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत पूर्ण विवरण नीचे दिया जा रहा है।

Attention is invited to Railway Board letter under reference, wherein at Para 5.1 it was notified that Ores, Minerals, Coal and Coke will be the Restricted Commodities for movement by Containers.

Contd..2..

The issue of permitting movement of the restricted commodities has been examined in Railway Board and approval of Railway Board is hereby communicated for permitting movement of import containerized traffic of restricted commodities (coal, coke minerals and ore) at FAK rates, in seal cut containers, subject to the following conditions:


- I) The imported containerized cargo is moved in the same containers, after custom clearance, in which they have arrived customs bonded.
- II) The SMTP detail can be relied upon by the goods clerk to verify the same.

The above permission comes into force with effect from 01.05.2017 and will be valid till 04.09.2017. Divisions shall continue to maintain the record of movement of such restricted commodities in import containers in seal cut containers for perusal and review by Railway Board.

CRIS may post a daily report on its website to monitor the scheme.

This issues with the approval of Traffic Commercial and concurrence of Finance Directorate of Railway Board.

कृपया सभी संबंधित कर्मचारी नोट करें एवं तदनुसार कार्यवाही करें ।



(एस. एम. गोन्डाने)

उप मुख्य वाणिज्य प्रबन्धक/पण्य
कृते मुख्य वाणिज्य प्रबन्धक